

उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग 1

संख्या- 840 /60-1-10-1/13(71)/06

लखनऊ : दिनांक : 14 मार्च, 2011

:: कार्यालय ज्ञाप ::

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम- 2000 (2006 के संशोधन अधिनियम-33 द्वारा यथा संशोधित) के अन्तर्गत बाल संरक्षण एवं सशक्त संरक्षणात्मक परिवेश, पालन पोषण करने, परिवार की देखरेख पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने, हिंसा एवं दुर्व्यवहार से बचने और संरक्षण पाने के उद्देश्य से समेकित बाल संरक्षण योजना (INTEGRATED CHILD PROTECTION SCHEME) में राज्य बाल संरक्षण समिति का गठन सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत संख्या- 3338-2010-2011 दिनांक 09-03-2011 को पंजीकरण किया जा चुका है।

राज्य बाल संरक्षण समिति की नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण समिति का गठन स्वतः मान लिया गया है, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए जनपद स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति का स्वरूप प्रदान किया जाता है-

1. अध्यक्ष जिला परिषद - अध्यक्ष
2. जिला मजिस्ट्रेट - सह अध्यक्ष
3. जनपद न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि - सदस्य
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक - सदस्य
5. मुख्य विकास अधिकारी - सदस्य
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य
7. नगर आयुक्त - सदस्य
8. जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य
10. सहायक श्रम आयुक्त - सदस्य
11. जिला पंचायत राज अधिकारी - सदस्य
12. सहायक सम्भागीय परिवाहन अधिकारी - सदस्य
13. क्षेत्राधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल - सदस्य
14. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित समाजसेवी (बच्चों के हित में विशिष्ट योगदान करने वाला) - सदस्य
15. प्रतिनिधि चाइल्ड लाईन - सदस्य
16. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (जिला प्रोबेशन अधिकारी) - सदस्य सचिव

अतः उपरोक्त पदाधिकारियों/सदस्यों की सहभागिता से गठित जिला बाल संरक्षण समिति की प्रथम बैठक शीघ्र कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।



बलविन्दर कुमार

प्रमुख सचिव।

610/090

संख्या- 840 (1)/60-1-10-1/13(71)/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
2. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, उ०प्र०, लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति, उ०प्र०, लखनऊ।
8. समस्त सदस्यगण, राज्य बाल संरक्षण समिति, उ०प्र०, लखनऊ।
9. निदेशक महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



भवनाथ
विशेष सचिव।